Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक 126 /2017 दिनांक 22/05 /2017

विषयः- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में निर्मित भवनों को मण्डल संचालक, अधिकारी/कर्मचारियों को विक्रय करने के संबंध में।

--- 000 ---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के 35वॉ सम्मिलन की पद संख्या 27 पर पारित संकल्प क.981-27/35/04/2012 दिनांक 16.04.2012 तथा मण्डल की 51वॉ सम्मिलन पद संख्या क.13 पारित संकल्प कमांक 1432-13 /51/09/2016 दिनांक 24.09.2016 द्वारा स्टॉफ तथा संचालक मण्डल के सदस्यों को उनके स्टॉफ क्वॉटर भवनों को भाड़ाक्य आधार पर आबंटित करने के आदेश प्रभावशील है। भवनों का आबंटन भाड़ाक्य आधार पर करने के प्रकरण संबंधित संपदा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर मुख्यालय को प्रेषित किए जाते है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 53वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 04.05.2017 के एजेण्डा कमांक 09 पर पारित संकल्प कमांक 1515/09/53/05/2017 में संचालक मण्डल द्वारा एजेण्डा नोट के प्रस्ताव अनुसार स्टॉफ भवनों को भाड़ाक्य /एकमुश्त आधार पर विकय करने संबंधी मण्डल के आदेशों एवं दिशा निर्देश अनुरूप आवास में निवासरत मण्डल संचालक, अधिकारी/ कर्मचारी से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने मुख्य संपदा अधिकारी मुख्यालय को अधिकृत करते हुए, मूल्य निर्धारण एवं आबंटन की कार्यवाही संबंधित अधिकारी द्वारा किए जाने मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

आदेशानुसार

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

पृ.क्र. 1404 /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-376/17 नया रायपुर, दिनांक 22/05/2017

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।

क्रमशः-02